सं0 संख्या – 15/औ0–3–14/2015......................../स्वा0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव रंजन, तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर के विरूद्ध अनुबंध में अन्तर्विष्ट वर्णित आरोप के लिए आरोपित है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त श्री राजीव रंजन, तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अर्न्तगत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाए।

श्री राजीव रंजन, तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अंदर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा0 विभेष प्रसाद सिंह, निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विवेकानन्द ठाकुर, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री राजीव रंजन, तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वंय सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षण कराने के लिए इच्छुक है।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.../स्वा0, पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.../स्वा0, पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डा0 विभेष प्रसाद सिंह, निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/–
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

क0प0उ0

ज्ञापांक–..........710(15).... /स्वा0, पटना, दिनांक–..........30/6/16.......

प्रतिलिपिः–साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन, तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/6

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या – 15/औ0–3–14/2015 ....710(15)/स्वा0

अनुबंध

1. आरोपित औषधि निरीक्षक का नाम	–	श्री राजीव रंजन
2. आरोपित पदाधिकारी का पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	–	औषधि निरीक्षक एवं तत्कालीन औषधि निरीक्षक गया नगर निगम क्षेत्र, गया सम्प्रति औषधि निरीक्षक, शिवहर
3. वेतनमान एवं ग्रेड – पे	–	4600/– एवं PB-2 (9300 - 34800/-)
4. आरोप का विवरण	–	

औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के पत्रांक – 18(गो0) दिनांक – 23.06.15 के द्वारा गठित संयुक्त छापामारी दल में अन्य सदस्यों के साथ आपको भी शामिल किया गया था उक्त संयुक्त छापामारी दल के द्वारा दिनांक – 26.06.15 से दिनांक – 04.07.15 तक गया अवस्थित कुल 16 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर छापामारी का कार्य सम्पादित किया गया। संयुक्त छापामारी दल द्वारा दिनांक – 04.07.15 को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु टीम के दल प्रभारी श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, औषधि निरीक्षक द्वारा प्राथमिकी प्रतिवेदन तैयार कर आपको उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्राथमिकी प्रतिवेदन के क्रम में दिनांक – 05.07.2015 को आपके द्वारा कोतवाली थाना गया में दर्ज किये गये कांड सं0 – 292/15 दिनांक – 05.07.15 के प्राथमिकी प्रतिवेदन के प्रथम 06 (छः) पृष्ठ तो वही है जो संयुक्त जॉच दल द्वारा तैयार किया गया था परन्तु जॉच दल द्वारा तैयार किये गए प्राथमिकी प्रतिवेदन के अंतिम 4 (चार) पृष्ठों को बदलते हुए उसके जगह पर मात्र – 02 (दो) पृष्ठ ही स्थानीय थाना में दर्ज किया गया जिसका विषय वस्तु बदला हुआ था। प्राथमिकी प्रतिवेदन की अंतिम 4 (चार) पृष्ठों को बदला जाना यह प्रमाणित करता है कि आपके द्वारा अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई है। आपके क्षेत्रातर्गत अवस्थित 16 औषधि प्रतिष्ठानों में फिजिशियन सैम्पल "नॉट टू0 बी0 सोल्ड" औषधियॉ तथा बिहार गवर्नमेंट सप्लाई की औषधियों का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढ़ंग से नहीं किया गया है तथा इसमें आपकी सहभागिता एवं संलिप्तता परिलक्षित होती है। साथ ही साथ छापामारी दल के पदाधिकारीगण औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के संयुक्त प्रतिवेदन के द्वारा आपके विरूद्ध, मुख्यालय स्तर से किए जा रहे निरंतर छापामारी में छापामारी दल के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया गया है। जिसके लिए आप वृहद दण्ड के भागी है।

29/6

सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

साक्ष्य तालिका –

1. 06.07.2015 की प्रति अनुलग्नक सहित।
2. श्री राजीव रंजन, औषधि निरीक्षक, गया का पत्र दिनांक – 04.07.15 अनुलग्नक सहित एवं पत्रांक – 461 दिनांक – 14.10.2015 की प्रति।
3. राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के पत्रांक – 618(15) दिनांक – 16.09.15 की प्रति।
4. छापामारी दल के पदाधिकारीगण, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के दिनांक – 31.12.15 का संयुक्त प्रतिवेदन की प्रति।